Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol. VII, Issue-III September 2021

सफाई कर्मियों का सामाजिक जीवन: एक विधिक अध्ययन

जितेन्द्र सिंह महदौरिया*

सारांश

साफ-सफाई इन्सान की रोजमर्रा की दिनचर्या है। हर इन्सान सुबह उठते ही सबसे पहले अपने चेहरे, हाथ, पैर और कपड़ों की साफ-सफाई करता है। यह दिनचर्या हर इन्सान की रोजमर्रा की कहानी है। साफ-सफाई हमारे जीवन में उतनी ही आवश्यक है। जितनी कि रहने के लिए घर, जीने के लिए भोजन, हवा, पानी आवश्यक है। हर इन्सान अपने घर तथा उसके आस पास तो साफ-सफाई रखता है, परन्तु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की साफ-सफाई करने के बाद अपने घर का कचरा तथा जूठन उठाकर बाहर सड़क पर इकठ्ठा कर देते हैं या फिर सड़क पर फैंक देते हैं। क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी साफ-सफाई की केवल घर के अन्दर तक ही सीमित है। इसलिए वे अपना फर्ज भूल जाते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि सड़क तथा आम रास्तों को साफ रखना हमारा कर्तव्य है। साफ-सफाई इन्सान को स्वस्थ रखने, गन्दगी, रोगाणु, बीमारी, धूल, मिट्टी तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अति आवश्यक है। साफ-सफाई रखने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। जहाँ पर साफ-सफाई रहती है वहाँ पर मच्छर और मक्खियाँ नहीं पनपते हैं। जिससे बीमारियाँ भी दूर रहती हैं इसलिये हर इन्सान को अपने घर तथा उसके आस-पास साफ रखना चाहिए।

बीजशब्द: सफाई कर्मी, स्वास्थ्य, विधि

प्रस्तावना

भारत में साफ-सफाई करने की जिम्मेदारी जाति व्यवस्था पर आधारित है अर्थात इससे यही दर्शित होता है कि साफ-सफाई की पूरी जिम्मेदारी और चिंता सिर्फ एक ही जाति पर आधारित है। और वह है दलित जाति और उनमें भी साफ-सफाई की जिम्मेदारी बाल्मीकि जाति के लोगों पर है। बाल्मीकि समुदाय के लोग चाहे वह पुरूष हो या महिला साफ-सफाई की जिम्मेदारी बाल्मीकि जाति के लोगों पर थोपी गई है। जिसमें महिला सफाई कर्मियों की संख्या सबसे ज्यादा देखी गई है।[1]

भारतीय शहरों को साफ रखने की जिम्मेदारी बाल्मीकि जाति के सफाई कर्मचारियों पर है। ये सफाईकर्मी शहरों की सड़कों, नाले, नालियाँ, सीवर, सैप्टिक टैंक, सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों, शासकीय अस्पतालों, शासकीय महाविद्यालय, शासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय स्कूलों और उनके शौचालयों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म और रेलवे की पटरियों बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के शौचालयों, ग्राम पंचायत, सामुदायिक भवनों, सार्बजनिक स्थानों, शहरों के वार्ड आदि की जिम्मेदारी बाल्मीकि जाति के सफाई कामगारों पर है।

---

* बी.एससी., एम.ए., एलएल.एम., पी.जी.डी.सी.ए., एम.पी.सेट

[1] सफाई का काम करने वाले अधिकांशत: कामगार दलित जाति के और उनमें भी वाल्मीकि जाति के हैं। ऐतिहासिक रूप से यह जाति सामाजिक– राजनीतिक एवं आर्थिक बहिष्कार, दमन और हिंसा का सामना करती रही है। उन्हे जाति व्यवस्था में अछूतों के नाम से भी सम्बोधित किया जाता रहा है।

सफाई कर्मचारी नाले, नालियाँ तथा सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय अपने हाथ से मैला उठाकर सफाई करते हैं। अधिकतर लोंगों के घरों में शुष्क शौचालय बने हुऐ हैं। जिसमें लोग जाते हैं और उसका उपयोग करके बाहर आते हैं। जैसे ही वह शुष्क शौचालय भर जाता है उसके बाद कोई सफाई कर्मचारी आयेगा और उनके मल को अपनी बाल्टी से उस मल को भर कर अपनी बकेट में डालता और उसके बाद टैंक में भर कर बाहर ले जाता। शुष्क शौचालय एकदम सूखा होता है अर्थात उसमें पानी का उपयोग नहीं होता है। बाल्मीकि जाति के लोग दूसरों का मलमूत्र पीढी दर पीढी अपने सर पर ढोतें हैं। इसी प्रकार रेलवे ट्रेक पर जो मल गिरेगा उसे भी सफाई कर्मचारी ही साफ करेगा। जबकि हाथ से मैला उठाने को कई कानूनों में प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन इन सफाई कामगारों को इन कानूनों की जानकारी ही नहीं है। इसलिए ये सफाई कामगार नाले, नालियाँ तथा सेप्टिक टैंक के मैला को अपने हाथ से उठाकर साफ करते हैं। मानव मल अर्थात हाथ से मैला उठाने को अधिनियम में प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों को अधिनियम की जानकारी के दायरे से बाहर रखा गया है। इन सफाई कामगारों को नाले नालियाँ, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय सफाई करने का सामान दिया जाता है। लेकिन इन सफाई कर्मियों को इसकी जानकारी का अभाव होता है इसलिये ये सफाई का सामान नहीं ले पाते और हाथ से ही नाले, नालियाँ, सीवर और सेप्टिक टैंक का मानव मल हाथ से ही उठाकर साफ करते हैं। मैला ढोने, सफाई का कार्य करने हेतु कर्मचारियों की भर्ती में आज भी बाल्मीकि जाति के लोगों को ही नियुक्त किया जाता है, जो मैला ढोने का कार्य पीढ़ियों से करते आ रहे हैं।

स्वच्छता को ऐसी व्यवस्था के रूप में समझा जाता है जो मानव तथा जानवरों की गंदगी, कचरे के निष्पादन, शौचालयों के उचित उपयोग और खुले में शौच करने से बचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक शामिल है। व्यक्तिगत स्वच्छता के काम में घर की साफ-सफाई, कपड़ों की साफ-सफाई, घर के कचरे का निष्पादन, घर के शौचालयों की साफ-सफाई करने का प्रबंधन करने जैसे कार्य शामिल हैं।

सार्वजनिक स्वच्छता के काम में किसी नगर निकाय क्षेत्र के घरों से कचरा इकठ्ठा करना, शहर के कचरे को कूड़ा-स्थलों में फैंकना, सडकों में झाड़ू लगाना, नालियाँ, नालों, स्कूलों, महाविद्यायलयों, सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों, गंदे नाले, मल, जल, उपचार संयंत्र, सेप्टिक टैंक की सफाई करना और रेलवे की पटरी, रेलवे के प्लेटफार्म, ट्रैन के शौचालयों तथा प्लेटफॉर्म के शौचालयों के मल की सफाई करना शामिल है।

भारत में सफाई के ज्यादातर काम खासकर सार्वजनिक स्थलों की जिम्मेदारी निभाने के लिए एक वर्ग विशेष के कामगारों को लगाया जाता है जिन्हें आमतौर पर सफाई कर्मचारियों के नाम से पुकारा जाता है। भारत में लगभग 13 लाख सफाई कर्मचारी हैं। हाथ से मैला उठाने वाले अन्य सफाई कर्मचारियों का आंकडा आज तक उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन सफाई कर्मचारयों का कभी सर्वे हुआ ही नहीं है। लगभग 45% सफाई कर्मचारी शहरों में काम करते हैं। लेकिन इन्हें सीवर, सेप्टिक टैंक, नाले नालियों की सफाई जैसे ज्यादा जोखिमपूर्ण कार्य करने होते हैं। शहरों में सफाई काम करने वाले कामगारों में 50% संख्या महिला सफाई कर्मचारियों की है जिनमें अधिकांश महिलायें स्कूलों के शौचालयों की सफाई करने में लगी हैं।

देशभर में सफाई कामगारों को विभिन्न नामों से जाना जाता है उत्तर और पश्चिम भारत में इनके नाम इस प्रकार है बाल्मीकि, चूडा, भंगी, मेंहतर पूर्वी भारत में इनके नाम बासफोर, डोम, धासी शामिल हैं। दक्षिण

भारत में इनके नाम ढोटी, अरूयाथियार, मडिग है। 40 से 60 प्रतिशत परिवार सफाई के काम में ही लगे हैं।

परिभाषा

सफाई कर्मचारी का अर्थ ऐसा व्यक्ति है, जो कि किसी भी प्रकार के सफाई कार्यों में लगा हुआ हो तथा उसमें उनके आश्रित भी सम्मिलित हैं

सफाई कर्मचारी अधिनियम, 1993 के राष्ट्रीय आयोग की धारा 2 के अनुसार- सफाई कर्मचारी का अर्थ मैन्युअल रूप में व्यस्त या नियोजित व्यक्ति है, जो मानव अवशिष्ट ले जाने व स्वच्छता का काम करते हैं। मल साफ करने के लिये विवश किया जाता था।[2]

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात् किसी समय अस्वच्छ शौचालय से या किसी खुली नाली या ऐसे गड्ढे में से, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से या किसी रेलपथ से या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों से, जिनको केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित करे, मल-मूत्र के ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, पूर्णतया विघटित होने से पूर्व, मानव मल-मूत्र को डाला जाता है, हाथ से सफाई करने, उसको ले जाने, उसके निपटान में या अन्यथा किसी रीति से उठाने के लिए किसी व्यष्टि या स्थानीय प्राधिकारी या अभिकरण या ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है और "हाथ से मैला उठाने" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।[3]

सफाई कर्मियों के प्रकार

सफाई कर्मचारियों को तीन प्रकार के अनुबन्धों के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है जो इस प्रकार हैं-

1. **नगर निगम के स्थायी कर्मचारी**- नगर निगम में स्थायी तौर पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। स्थायी कर्मचारियों को 25,000/- से 30,000/- हजार रूपये प्रति माह वेतन मिलता है। स्थायी कर्मचारियों को रोजगार भविष्य निधि के लिए पैसा कटने अथवा सोसाइटी फन्ड, पेंशन, अंशदान, अर्जित अवकाश और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधायें प्राप्त होती हैं। स्थायी कर्मचारियों का वेतन सबसे अधिक होता है। जिसमें विभिन्न प्रकार के अन्य लाभ भी शामिल होते हैं, अर्जित अवकाश, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन वृत्ति में अंशदान तथा भविष्यनिधि।
2. **नगर निगम के ठेके के कर्मचारी**- ठेके पर रखे गये सफाई कर्मचारियों को 10,000/- से 15,0000/- हजार रूपयें प्रति माह वेतन मिलतें हैं। ठेके पर रखे गये सफाई कर्मचारियों को महीने में चार छुटिटयाँ मिलती है। वो भी पुरूष सुपरवाईजर पर निर्भर करती है। इसके अलावा उन्हें कोई पेंशन, भत्ते, अंशदान नहीं मिलता है। नगर निगम में ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को समान काम के लिये स्थायी कर्मचारियों के वेतन के आधे से लेकर चौथाई हिस्से तक वेतन प्राप्त होता है जबकि ठेके पर अथवा बाहर से लिये गये सफाई कामगारों को वेतन के अलावा कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

[2] सफाई कर्मचारी अधिनियम, 1993

[3] हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

3. **अस्थायी सफाई कर्मचारी**- अस्थायी सफाई कर्मचारियों को 4000/- से 7000/- रूपये तक प्रति माह वेतन मिलता है और इन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। जिस दिन ये काम पर नहीं आते हैं उस दिन का वेतन काट लिया जाता है।

महिला सफाई कर्मचारी

पांच लाख से अधिक महिला सफाई कर्मचारी हैं। जो सड़क साफ करने के अलावा छोटी-छोटी नालियों को साफ करने, घरों से कूड़ा इक्ठ्ठा करने, शौचालयों को साफ करने में लगी हुयी हैं। महिला सफाई कर्मचारी सडकों को साफ करने, और फिर इस कचरे को ठेले में डालने, ठेले को खाली करने, ठेला खींचने और फिर इस एकत्रित कूड़े को नगर निगम के कूडेदान/प्रमाणित कूड़ा स्थल में फेंकने के काम में भी लाया जाता है। हाथ से मल साफ करने के संबन्ध में जाँच करने पर पता चला और लगभग सभी महिलाओं ने इसे प्रमाणित किया कि पुरूष सफाई कामगार ही केवल बड़े नालों और सेप्टिक टैंक को ही साफ करते हैं। महिला सफाईकर्मी कहती है कि अगर हम काम नहीं करेगे तो खायेगें क्या। इसलिए बाल्मीकि समाज की महिलायें सफाई कर्मचारी का काम करने लग जाती हैं उनका कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हैं कि वे घर बैठ कर अपनी दो वक्त की रोटी खा सकें। बाल्मीकि समुदाय की लडकियों को सफाई कार्य में अपनी माताओं की सहायता के लिए वे अपनी शिक्षा से वंचित हो जाती है और वे समझती हैं कि उनको भी सफाई कर्मचारी ही बनना है।

सफाई कर्मचारियों की सामाजिक स्थिति

भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। समाज के सभी वर्गों को भारतीय न्यायिक प्रणाली में न्याय पाने का समान अवसर प्राप्त है। लेकिन सफाई कामगारों की दशा व दुर्दशा आज भी बदत्तर बनी हुई है। उनकी सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। देश के सफाई कर्मचारी आज भी गन्दी बस्तियों में निवास करते हैं। जहाँ पर उनके रहने की मूलभूत व्यवस्था, पानी सड़क, बिजली की व्यवस्था नहीं है और चारों तरफ गन्दगी ही बनी रहती है और सरकार का ध्यान भी इनकी तरफ नहीं जाता है। सफाई कर्मचारियों को लोग हीन भावना से देखते हैं। सफाई कर्मचारियों के पास मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव होता है। जिससे इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। इनके बच्चे अशिक्षित होते हैं इसलिए इनकी मां अपने बच्चों को अपने साथ ले जाती हैं अशिक्षा और गरीबी के कारण इनके बच्चे कुसंगति में पड़कर नशे के आदी बन जाते हैं।

सफाई कर्मचारी आन्दोलन 1986

सामाजिक कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन ने सफाई कामगारों को हाथ से मैला उठाने को प्रतिबंधित करने के लिए कई अभियान चलाए। सफाई कर्मियों को हाथ से मैला उठाने को रोकने के लिए उन्हें चेताया कि यह काम हाथ से उठाने का नहीं है। बेजवाड़ा विल्सन ने इस अभियान की शुरूआत कोलार कर्नाटक से की और धीरे– धीरे पूरे देश भर में फैला दिया। हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों की संख्या कर्नाटक आन्ध्र प्रदेश, तिमलनाडु, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्बू कश्मीर, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आदि राज्यों में सबसे ज्यादा है। इसके लिए बेजवाड़ा विल्सन को वर्ष 2016 में रेमन मेगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बेजवाड़ा विल्सन के इस आन्दोलन से हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों के सम्बन्ध में कई कानून बनाये गये लेकिन उनका पालन आज तक नहीं हुआ।

सफाई के कारण सफाई सर्मचारियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव

1. धूल के कारण आँखों में खुजली लगना और गले में संक्रमण होना तथा जुखाम जैसी समस्या बनी रहती है।
2. सफाई करते समय जंग लगी कीले चुभना और काँच के घाव से संक्रमण फैलने की सम्भावना अधिक रहती है।
3. वर्षा के मौसम में एलर्जी, खरोंच और नीला पडने की सम्भावना रहती है।
4. सफाई करते समय मानव मल और कचडे की दुर्गन्ध से भी अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं।
5. सीवर की सफाई करते समय उससे निकलने वाली हानिकारक गैस से भी सफाई कर्मचारी की मौत तक हो जाती है।

सीवर में दम घुटने से हुई मौतें

सीवर/ गटर जब चौक हो जाते हैं। तब सफाई कर्मचारी उस सीवर के अन्दर घुसकर सफाई करता है। उसमें से कई हानिकारक गैसें निकलती हैं जिससे कई सफाई सर्मचारियों की मौत हो जाती है। जो इस प्रकार हैं-

राज्य	मौतें
1. तमिलनाडु	194
2. गुजरात	122
3. उत्तर प्रदेश	64
4. हरियाण	56
5. राजस्थान	38
6. दिल्ली	33
7. पंजाब	29
8. कर्नाटक	17
9. आन्ध्रप्रदेश	12
10. महाराष्ट्र	10
11. बिहार	4
12. गावा	4
13. मध्य प्रदेश	6
14. पश्चिम बंगाल	8
15. छत्तीसगढ	3
16. केरल	3
17. तिलंगाना	3
18. उत्तराखण्ड	3
19. त्रिपुरा	2
कुल योग -	634

नोट- ये आंकडे बेजवाड़ा विल्सन के यूट्यूव इन्टरव्यू से लिए गये हैं।

संसद द्वारा पारित किये गये कानून

1. **नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955** सफाई कर्मियों के लिए यह पहला कानून था जिसके कारण शुष्क शौचालयों को पोर– फ्लश शौचालयों में बदलने का कार्य शुरू हुआ ताकि मानव मल का हाथ से प्रबंधन रोका जा सके।
2. **सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993** इस अधिनियम ने सूखे शोचालयो में मैनुअल स्कवेंजर के काम और नये सूखे शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया।
3. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम (PEMSR), 2013
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989

सार्वजनिक आयोग

1. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)
2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम (NSKFDC)
3. स्वच्छ भारत मिशन
4. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए अयोध्या बस्ती योजना चलाई गई।

निष्कर्ष

भारत की एक बड़ी आबादी गरीब और अशिक्षित है जो न तो कानूनी प्रक्रिया व उसकी प्रणालियों से परिचित है और न ही संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक है। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकारों को जानते ही नहीं है क्योंकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं है। भारत को आजाद हुए 74 वर्ष हो गए हैं लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों का मल– मूत्र अपने सर पर उठाते हैं। अफसोस इस बात का है कि कुछ जातियाँ वर्षो से पीढी दर पीढी अपने काम में लगी हुयी हैं। इनमें से एक जाति है बाल्मीकि। इस जाति के सभी लोग सफाई का काम करते हैं। बाल्मीकि समाज के लोग सडक, नाले- नालियाँ, शुष्क शौचालय, गटर या सीवर को साफ करना ही अपना काम समझते हैं। जबकि भारतीय संविधान दूसरों का मल– मूत्र उठाने की हमें अनुमति नहीं देता है। हाथ से मैला उठाने के सम्बन्ध में अनेक कानून पारित किये गये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस जाति को इन कानूनों की जानकारी से अलग रखा गया है। इसलिए ये लोग दूसरों का मल– मूत्र अपने सर पर उठाकर अपना तथा अपने परिवार का गुजारा करतें हैं।

सरकार साफ– सफाई के प्रति ध्यान तो दे रही है लेकिन सफाई कर्मचारियों को मूलभूत आवश्यकतायें मुहैया कराने में तो असफल ही रही है। कानून में प्रावधान है कि सफाई कर्मचारी को सीवर या गटर की सफाई करते समय किट उपलब्ध कराई जानी चाहिए लेकिन सफाई कर्मचारियों को कोई किट उपलब्ध नहीं करायी जाती है। आज भी सफाई कर्मचारी गटर या सीवर की सफाई करते समय सीवर में घुसकर बाल्टी से साफ करतें हैं जिससे कई सफाई कर्मचारियों की सीवर में दम घुटने से मौत हो जाती है।